प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश ।

दण्डिक अपील संख्या – 695 / 2004

मोहन @ बैसाखू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश हेतु सूचीबद्ध का दिनांक – 23 – 06 – 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश ।

दण्डिक अपील संख्या – 695 / 2004

मोहन @ बैसाखू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :

अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री आर.एन. झा ।

राज्य के लिए अधिवक्ता : श्री डी.के.ग्वालरे, उप शासकीय अधिवक्ता ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय

(23.06.2006 को पारित)

1. यह अपील दिनांक 19.06.2004 को श्री आर.के. राठी, विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम), बिलासपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 34 / 2003 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे 1985 का अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 बी (ii) (सी) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी ।

2. अभियोजन पक्ष ने संक्षेप में बताया कि 20.10.2003 को गुप्त सूचना मिलने पर कि अपीलार्थी के पास ग्राम बिरकोना स्थित उसके घर में भारी मात्रा में गांजा है, उपनिरीक्षक एस.एस. राज आ. सा. 7 ने उक्त सूचना को प्रदर्श पी–3 के अनुसार दर्ज करने तथा प्रदर्श पी–1 के अनुसार अपने

वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के पश्चात उपनिरीक्षक एच. केरकेट्टा आ. सा. 6 तथा स्वतंत्र गवाह राजा राम आ. सा. 5 तथा राकेश दुबे के साथ घटनास्थल पर पहुंचे । अपीलार्थी के घर पहुँचकर, उपनिरीक्षक एस.एस. राज आ. सा.–7 ने अपीलार्थी को अवैध गांजा रखने के लिए घर की तलाशी लेने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया और प्रदर्श पी–4 के तहत अपीलार्थी की सहमति प्राप्त की । पंचनामा प्रदर्श पी–5 के अनुसार, अपीलार्थी के व्यक्तित्व, स्टाफ और गवाहों की तलाशी लेने के बाद, अपीलार्थी के घर की शाम 5.20 बजे तलाशी ली गई । पाया गया कि पटाव के एक कमरे में 6 प्लास्टिक की थैलियों में गांजा रखा हुआ था । बरामद गांजे का वजन नंद कुमार साहू ने शाम 5.25 बजे किया और उसका वजन 87 किलो 900 ग्राम पाया गया । प्रत्येक बैग से 100–100 ग्राम के दो नमूने अलग करके सील कर दिए गए । प्रत्येक प्लास्टिक बैग में शेष गांजा भी सील कर दिया गया । जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी–9 तैयार किया गया । सील की नमूना छाप जब्ती ज्ञापन पर चिपका दी गई और सील की नमूना छाप का एक अलग पंचनामा भी प्रदर्श पी–14 के अनुसार तैयार किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्राथमिकी, प्रदर्श पी–13, पुलिस थाना कोनी में शाम 6.30 बजे उपनिरीक्षक श्री एच. केरकेट्टा, आ. सा.–6 द्वारा दर्ज की गई । गांजा से भरे 6 सीलबंद प्लास्टिक बैग और 100–100 ग्राम के 12 सीलबंद नमूने 20.10.2003 को हेड कांस्टेबल मालखाना मोहर्रिर बंधु भास्कर, आ. सा.–5 को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सौंपे गए, जिन्हें मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–12(सी) में दर्ज किया गया । 28.10.2003 को, 12 सीलबंद नमूना पैकेट, पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन प्रदर्श पी–18 के साथ, कांस्टेबल कुंज बिहारी को, रायपुर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में ले जाने के लिए सौंपे गए । सीलबंद नमूना पैकेट उसी दिन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में पहुँचा दिए गए । रिपोर्ट प्रदर्श पी–19 के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी 12 सीलबंद नमूना पैकेटों में गांजा था । जाँच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा–20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया । अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अपनी बेगुनाही का दावा किया और बचाव में कोई सबूत पेश

नहीं किया । अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों से पूछताछ की । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और पैरा–1 (पूर्वोक्त) में उपरोक्तानुसार सजा सुनाई ।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. एन. झा ने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नमूना पैकेटों पर मिली सील का नमूना प्रभाव, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी–19 में तैयार किया गया था, प्रदर्श पी–9 और पी–14 पर लगी सील के नमूना प्रभाव से मेल नहीं खाता । ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि पंचनामा प्रदर्श पी–14 जिसमें सील के नमूने की छाप थी, तुलना के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन प्रदर्श पी–18 में भी यह नहीं दिखाया गया था कि सील का नमूना छाप भेजा गया था । यह तर्क दिया गया कि केवल इन्हीं आधारों पर अपीलार्थी बरी होने का हकदार है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि स्वतंत्र गवाह राजा राम अ.सा.–5 ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया । अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि अपीलार्थी के होश में गांजा बरामद किया गया था क्योंकि उपनिरीक्षक एस.एस. राज अ.सा.–7 ने अपनी गवाही के पैरा–8 में स्वीकार किया था कि अपीलार्थी की पत्नी और परिवार के सदस्य भी उस घर में रहते थे । एक अन्य स्वतंत्र गवाह राकेश दुबे, जिनकी सूचना पर अपीलार्थी के घर के अंदर से गांजा बरामदगी से संबंधित घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था, की अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच नहीं की गई जिसके लिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था । यह भी बताया गया कि हेड कांस्टेबल बंधु भास्कर, आ. सा.–5 ने कहा था कि जब्त प्रतिबंधित सामान उपनिरीक्षक एच. केरकेट्टा, आ. सा.–6 द्वारा मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपे गए थे, जबकि उपनिरीक्षक एस. एस. राज, आ.

सा.–7 ने कहा था कि उन्होंने प्रतिबंधित सामान मालखाना मोहरिर को सौंपे थे । मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 12 (सी) में यह भी नहीं दर्शाया गया कि सील का नमूना छाप भी सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया था । अंत में, यह तर्क दिया गया कि अधिनियम 1985 की धारा 55 का गंभीर उल्लंघन हुआ है क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि प्रतिबंधित वस्तुओं को मालखाने में सुरक्षित रखने से पहले, थाना प्रभारी ने सभी वस्तुओं पर स्वयं अपनी मुहर लगाई थी । यह भी बताया गया कि प्रदर्श पी–9 और पी–14 पर लगी मुहर का नमूना पुलिस स्टेशन–विश्वविद्यालय थाना, कोनी की नियमित मुहर थी, जबकि पूरी जब्ती और तलाशी पुलिस स्टेशन–कोनी द्वारा की गई थी । इन आधारों पर, यह तर्क दिया गया कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों के समर्थन में कनीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2002 (2) अपराध – 457, जदुमणि साहू बनाम राज्य, 1997 (3) क्राइम 486, थांडी राम बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 1 एससीसी 318 और जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 9 सुप्रीम कोर्ट केसेस 159 के निर्णयों का अवलंब लिया ।

7. दूसरी ओर, उप शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. ग्वालरे ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिबंधित गांजा रखने के संबंध में धारणा बनाई, जिसका अपीलार्थी द्वारा खंडन नहीं किया गया । यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की कहानी पर केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि पंच गवाहों में से एक को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था । 2003(4) क्राइम–390(एससी) में प्रतिवेदित पी.पी. फातिमा बनाम केरल राज्य मामले का अवलंब लिया गया है ।

८. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने विशेष मामला संख्या—34/2003 के अभिलेख का अवलोकन किया है । 1985 के अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में, अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह स्थापित करे कि रासायनिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए नमूनों के पैकेटों पर लगी सील, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नमूने प्राप्त होने तक बरकरार थीं और उनके साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी । वर्तमान मामले में, नमूना प्रदर्श पी–14 और जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी–9 में निहित सील की छाप, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नमूना पैकेटों पर पाई गई सील की छाप से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, जो कि प्रदर्श पी–19 की रिपोर्ट पर आधारित है । फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई मुहर की छाप में "वी.वी." शब्द (विश्व विद्यालय), "एम.पी.पी." शब्द (मध्य प्रदेश पुलिस) और "बिलासपुर" शब्दों के बाद लिखे "एम.पी." शब्द गायब हैं । उपनिरीक्षक एस. एस. राज आ. सा.–7 ने अपनी गवाही में यह नहीं बताया है कि सील का नमूना प्रतिलिपि तस्करी के गांजे के नमूनों के साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई थी । यह बात पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन, प्रदर्श पी–18 से भी प्रमाणित नहीं होती है । मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–12(सी) की प्रति भी यह नहीं दर्शाती है कि नमूना पैकेटों को सील करने के लिए प्रयुक्त सील की छाप भी मालखाना मोहरिर को सौंपी गई थी । मालखाना मोहरिर बंधु भास्कर आ. सा.–5 की गवाही भी इस बिंदु पर मौन है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

९. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस बात पर पर्याप्त विरोधाभास है कि प्रतिबंधित गांजा और 12 सैंपल पैकेटों को मालखाने में सुरक्षित रखने के लिए किसने पहुँचाया था । हेड कांस्टेबल बंधु भास्कर आ. सा.–5 ने कहा कि सब इंस्पेक्टर एच. केरकेट्टा आ. सा.–6 ने प्रतिबंधित सामान मालखाने में पहुँचाया था, जबकि एच. केरकेट्टा आ. सा.–6 ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया । दूसरी ओर, उपनिरीक्षक एस.एस. राज आ. सा.–7 ने अपनी गवाही के पैरा 5 में कहा है कि उन्होंने ज़ब्त किया गया प्रतिबंधित गांजा और नमूने के पैकेट मालखाना मोहरिर को सौंपे थे ।

इस प्रकार, यह गंभीर संदेह पैदा होता है कि मालखाना में सुरक्षित रखने के लिए नमूने के पैकेट और शेष नमूने के गांजे के प्लास्टिक बैग किसने पहुँचाए ।

10. 1985 के अधिनियम की धारा 155 के अनुपालन को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं है, जिसके अनुसार संबंधित पुलिस थाने का थाना प्रभारी जब्त किए गए प्रतिबंधित गांजे और सीलबंद नमूने के पैकेटों को मालखाने में सुरक्षित रखने से पहले उन पर अपनी मुहर लगाने के लिए बाध्य है । जैसा कि ठंडी राम बनाम हरियाणा राज्य (2000) 1 एस.सी.सी. 318 में यह अवधारित किया गया है कि, 1985 के अधिनियम की धारा–57 का पालन न करने पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि गलत हो जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मेरा यह मानना है कि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी ।

12. यह भी ध्यान देने योग्य है कि ज़ब्ती के स्वतंत्र गवाह राजा राम (आ. सा.–5) ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया । घटनास्थल मानचित्र प्रदर्श पी–16 से पता चलता है कि इसे पटवारी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने स्वतंत्र गवाह राकेश दुबे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया था । हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा न तो पटवारी राजेंद्र प्रसाद शुकिया और न ही स्वतंत्र गवाह राकेश दुबे से पूछताछ की गई, जिससे अपीलार्थी के सचेत कब्जे से 87 किलोग्राम और 900 ग्राम गांजा जब्त करने के संबंध में श्री एस.एस. राज आ. सा.–7 के साक्ष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि उपनिरीक्षक एस.एस. राज अ.सा.–7 ने कहा था कि उपनिरीक्षक एच. केरकेट्टा अभि.–6, ग्राम बिरकोना गए थे और अपीलार्थी के घर की तलाशी और जब्ती के समय मौजूद थे । उपनिरीक्षक एच. केरकेट्टा अभि.–

6 ने उपनिरीक्षक एस.एस. राज अ.सा..–7 द्वारा की गई तलाशी और जब्ती के बारे में कोई बयान नहीं दिया । सब इंस्पेक्टर एस. एस. राज अ.सा.–7 ने अपनी गवाही के पैरा–8 में कहा था कि अपीलार्थी की पत्नी और उसके तीन बच्चे भी अपीलार्थी के घर में रहते थे। सब इंस्पेक्टर एस. एस. राज अ.सा.–7 ने अपनी गवाही के पैरा–7 में कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि अपीलार्थी के घर में कितने कमरे थे । प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा कि जिस "पटाव" से गांजा जब्त किया गया था, वह उस कमरे में था जो घर में प्रवेश करते ही सामने था । यह बात मौके के नक्शे प्रदर्श पी–16 से प्रमाणित नहीं होती क्योंकि कमरा घर में प्रवेश करते ही सामने नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि उपनिरीक्षक एस.एस. राज आ. सा.–7 ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि तलाशी और जब्ती के समय बिरकोना गाँव से किसी गवाह को क्यों नहीं बुलाया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं :

(A) इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए गांजे के नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गई हो ।

(B) स्वतंत्र गवाह राजा राम (आ. सा.–5) ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। कथित तलाशी और ज़ब्ती के समय बिरकोना इलाके के किसी भी गवाह को नहीं बुलाया गया था ।

(C) एक अन्य स्वतंत्र गवाह राकेश दुबे, जिनके कहने पर पटवारी ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई ।

(D) अपीलार्थी के घर का मौका नक्शा तैयार करने वाले पटवारी से भी अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई ।

(E) 1985 के अधिनियम की धारा–55 का पूर्णतः गैर–अनुपालन किया गया है ।

(F) उपनिरीक्षक एच. केरकेट्टा आ. सा.–6 ने अपीलार्थी के घर से तलाशी और प्रतिबंधित गांजा की जब्ती से संबंधित उपनिरीक्षक एस.एस. राज आ. सा.–7 की गवाही की पुष्टि नहीं की ।

(G) अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों की घर के अंदर उपस्थिति और उपनिरीक्षक एस.एस. राज आ. सा.–7 के साक्ष्य, जो घटनास्थल मानचित्र प्रदर्श पी–16 का खंडन करते हैं, को देखते हुए यह संदेहास्पद हो जाता है कि प्रतिबंधित गांजा अपीलार्थी के सचेत कब्जे से जब्त किया गया था ।

14. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्रता से विचार करने और उनसे उभरे उपर्युक्त बिंदुओं पर विचार करने के बाद, मैं इस विचार पर हूँ कि 1985 के अधिनियम की धारा–20(बी) (ii) (सी) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा उसके तहत दी गई सजा को अपास्त किया जाना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है । 1985 के अधिनियम की धारा–20(बी) (ii) (सी) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उसके अंतर्गत दी गई सजा को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा । यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा ।

सही /–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
23.06.2006

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.